न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 164 / 2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024 / 260

प्रार्थीया:-

धनु श्री उर्फ ढगली पुत्री स्व. पुराराम पत्नी मूलाराम जाति मेघवाल निवासी बासोर हाल निवासी सासरी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगणः-

1. धन्नी देवी उर्फ धनकी पत्नी मोतीराम जाति मेघवाल निवासी बासोर तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
2. ग्राम पंचायत भगोड़ा जरिये सरपंच भगोड़ा तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री शकंरलाल पंवार।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज बैरवा।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18/10/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भगोड़ा द्वारा संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.01.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 28.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब करने पर ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा वक्त बहस लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि जैर आराजी प्रार्थीया की पैतृक, पुश्तैनी व कब्जासुदा है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नहीं था, उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने नियमों से परे जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी आराजी का पट्टा बनाने हेतु दिनांक 20.01.2013 को आवेदन पेश किया तथा मात्र 8 दिवस पश्चात् दिनांक 28.01.2013 को जैर निगरानी पट्टा जारी करने के आदेश पारित कर दिये। राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के तहत पट्टा जारी करने की एक सुस्थापित प्रक्रिया है परन्तु जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने न तो मिसल कायम की, न ही मौका निरीक्षण हेतु पंचों की एक कमेटी का गठन किया और न ही आपत्ति ईश्तहार हेतु कोई नोटिस जारी किया। इस तरह ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के विधित प्रक्रिया अपनाये बिना ही विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी पट्टा देखने मात्र से ही कूटरचित व फर्जी प्रकट होता है क्योकि उक्त पट्टा का क्षेत्रफल 8053.5 वर्गफीट है, जो पंचायतीराज नियम 157 में निर्धारित मापदण्डों से अधिक है। ग्राम पंचायत भगोड़ा में जैर निगरानी पट्टे

अति. जिला कलेक्टर पाली

का कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने से भी उक्त पट्टा अपने आप में फर्जी एवं कूटरचित जाहिर होता है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी विधिविरूद्ध जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत कोई व्यथित पक्षकार या हितबद्ध पक्षकार ही निगरानी पेश कर सकता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया न तो व्यथित पक्षकार है और न ही हितबद्ध पक्षकार है। प्रार्थीया ने जैर आराजी को स्वयं का पुश्तैनी व पैतृक बतायी है लेकिन उसके कब्जे के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अप्रार्थी संख्या 1 का जैर आराजी पर करीब 40 वर्षों से कब्जा है तथा उस पर मकान निर्माण करवाकर पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत से जैर निगरानी पट्टा प्राप्त किया है। प्रार्थीया ने 11 वर्षों के बाद जैर निगरानी पट्टा को निरस्त करवाने बाबत् निगरानी पेश की है, जो पूर्णतया म्याद बाहर है। साथ ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निगरानी देरीना प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अतः जैर निगरानी म्याद बाहर होने तथा प्रार्थीया हितबद्ध व व्यथित पक्षकार नहीं है, जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत एक्ट 1994 की धारा 157(2) तहत पुराने गृह नियमितिकरण के आधार पर 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा हो के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 ने विधिवत ग्रामय पंचायत में शुल्क जमा करवाकर पंचायत नियमों के अनुसार पट्टा जारी करवाया है, प्रार्थी ने उक्त निगरानी पट्टे के खिलाफ की है, किसी आदेश के खिलाफ नही की है, बिना किसी ठोस आधार के प्रार्थीया ने प्रकरण न्यायालय में पेश किया है, अप्रार्थीया दिनांक 28.01.2013 से पुर्व से उक्त आवास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है, कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, वह पंचायती राज नियमों की पालना में जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत में वर्तमान में कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसमें अप्रार्थी का दोष नहीं है तथा इसका खामियाजा वो क्यों भुगते ? तथा जिस समय अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी किया गया था, उस समय उक्त आराजी गै.मु. आबादी की भूमि थी तथा इसका पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार था। उपरोक्त तथ्यों के आधार प्रार्थी की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत भगोड़ा द्वारा संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.01.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 28.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई। जैर निगरानी के सम्बन्ध में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। वकील अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि निगरानी केवलमात्र हितबद्ध पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है परन्तु जैर निगरानी में प्रार्थी का कोई हित निहित नही है जबकि अधिवक्ता प्रार्थी ने इस कथन का विरोध करते हुये यह जाहिर किया कि राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा

अति. जिला कलेक्टर पाली

97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीया ने लिखित बहस में कथन किया कि जैर आराजी प्रार्थीया के पिता पुराराम की कब्जेशुदा भूमि है तथा प्रार्थीया पुराराम की एकमात्र जाईन्दा संतान है। पुराराम का देहांत दिनांक 25.09.1987 को हो गया था, जिन्होने अपने जीवन काल में किसी को गोद नहीं लिया और न ही जैर आराजी किसी को बेचान की थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 से मिली भगत कर पंचायत राज नियमों की पालना किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ देने की नियत से मात्र 08 दिन मे ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा मात्र 08 दिन में जारी किया हो ऐसे कोई दस्तावेज अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रस्तुत नहीं किये और न ही ऐसे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर आराजी पर प्रार्थीया या उसके पिता का कभी कब्जा रहा हो। हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज / साक्ष्य पेश नहीं किये गये है जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर आराजी पर पट्टा जारी करने से पूर्व किसका कब्जा रहा हो, साथ ही जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना भी जैर निगरानी पट्टे की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न अंकित करता है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि / छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपति आमन्त्रित करने का नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोदन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है। जिसका परीक्षण एवं वैद्यता को जांचने के लिए ग्राम पंचायत के रेकर्ड की उपलब्धता वांछनीय है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। अतः प्रकरण पुनः जांच कर विधिवत सुनवाई हेतु पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जा सके।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, भगोडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 28.01.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत भगोड़ा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। चूंकि प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा एवं इससे सम्बन्धित दस्तावेज पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना भी राजकीय दस्तावेजात् को गायब करने की श्रेणी में परिलक्षित होता है। इस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त दस्तावेज के गायब होने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्यवाही करें। निर्णय की सत्यप्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली